न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
73/2021—वाद पत्र	24.09.2021	20.02.2024

उनवान

मिश्रीलाल पुत्र बलदेव कुमावत निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा

—वादी

बनाम

1— गोपाल पुत्र रामकरण कुमावत निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
2— रामदयाल पुत्र रामकरण कुमावत निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
3— लालाराम पुत्र रामकरण कुमावत निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
4— मु. स्याणी पत्नी रामकरण कुमावत निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
5— तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री अनिल कुमार शर्मा : अभिभाषक वादी

वाद पत्र : बाबत बंटवाड़ा आराजियात

—:: निर्णय ::—

वादी द्वारा एक वाद पत्र बाबत बटवाड़ा आराजियात, व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया गया वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि :—
वादी व प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 04 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि आराजियात् आराजी नम्बर 1053/1607 रकबा 0.16 है0, 1116 रकबा 1.25 है0 कुल किता 2 रकबा 1. 41 है0 ग्राम बिलिया पटवार हल्का बिलिया में स्थित है। वाद पत्र के पैरा सं0 01 में वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हक हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादीगण सं. 01 से 4 का प्रत्येक का 1/8—1/8 हक हिस्सा निहित है और वादी अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान में पैरा सं0 01 में वर्णित आराजी चूंकि संयुक्त होकर अविभक्त है इसलिए वादी अपने हक हिस्से की 1/2 भूमि पर ऋण लेकर और भूमि को अधिक उपजाउ नहीं बना पा रहा है। वादी अपने 1/2 हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा कराना चाहता है। वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण को बंटवाड़ा कराये जाने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया एवं धमकी दी कि बंटवाड़ा नहीं करेगें और आराजी को खुर्द बुर्द कर देगें। अतः श्रीमान के निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार फमाया जाकर बंटवाड़ा आराजियात के डिक्री जारी की जावे कि वाद पत्र के पैरा सं0 01 में वर्णित आराजियात जिसमें वादी कर 1/2 हिस्सा निहित है को मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने की डिक्री प्रदान करावें जिसकी पालना प्रतिवादीगण नं. 05 से कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन नोटिस तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 29.06.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के कारण पत्रावली पेश नहीं हुई। दिनांक 29.06.2022 को प्रतिवादीगण को तारीख पेशी बाबत सूचना पत्र/नोटिस जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 30.08.2022 को प्रतिवादीगण को तारीख पेशी बाबत नोटिस जारी किये गये जिसमें पेशी दिनांक 02.11. 2022 दी गयी। नियत पेशी दिनांक 02.11.2022 को नोटिस तारीख पेशी बाद तामिल प्राप्त किन्तु बावजूद सूचना के कोई भी उपस्थित नहीं हुआ जिनके विरूद्ध दिनांक 10.04.2023 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 24.01.2024 को अभिभाषक वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया जिससे बहस अभिभाषक वाद की सुनी गयी। बहस में अभिभाषक वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजात के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत्

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

2075 से 2078 ग्राम बिलिया प0ह0 बिलिया का अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड अनुसार वादी मिश्री पुत्र बलदेव का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिससे वाद पत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूं।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा आराजियात स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 01 लगायत 04 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम बिलिया पटवार हल्का बिलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा के आराजी नम्बर 1116 रकबा 1.25 है0 में वादी का 1/2 हिस्सा का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कब्जे को ध्यान में रखते हुए किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को 500/– रूपये कमीशन फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। **साथ ही आराजी नम्बर 1053/1607 रकबा 0.1600 है0 किस्म गेमु. सड़क होने से पक्षकारान(वादीगण एवं प्रतिवादीगण) के हक हिस्से अनुसार शामलाति रखा जावे।** कमीशन राशि मौके पर वादी से प्राप्त करें। बंटवाड़ा स्कीम मय नक्शा ट्रेस 02 प्रति में तैयार कर भिजावें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। डिक्री की प्रमाणित प्रति भेजी जाकर पालना हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज.)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास **श्री सुनील कुमार मीणा,** (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

मिश्रीलाल पुत्र बलदेव कुमावत निवासी बिलिया तहसील शाहुपरा जिला भीलवाड़ा
– वादी

बनाम

1– गोपाल पुत्र रामकरण कुमावत निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– रामदयाल पुत्र रामकरण कुमावत निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3– लालाराम पुत्र रामकरण कुमावत निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4– मु. स्याणी पत्नी रामकरण कुमावत निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् बंटवाड़ा आराजियात अन्तर्गत धारा 53 रा0का0अधिनियम

मुकदमा नम्बर 73 सन् 2021 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

मुताबिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार शाहपुरा वाके ग्राम बिलिया प0ह0 बिलिया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा के आराजी नम्बर 1053/1607 रकबा 0.16 है0, आराजी नम्बर 1116 रकबा 01.25 है0 किता–2 रकबा 1.41 का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार बंटवाड़ा किया जाता है –

1– वादी मिश्री पुत्र बल्देव कुमावत सा0देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे –

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	1116/1	0.6250 है0	बीड़	1.25

2– प्रतिवादीगण गोपाल 1/4 रामदयाल 1/4 लालाराम 1/4 पुत्र रामकरण स्याणी पत्नी रामकरण 1/4 कुमावत सा.देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे –

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	1116/2	0.6250 है0	बीड़	1.25

3– वादीगण एवं प्रतिवादीगण मिश्री पुत्र बल्देव 1/2 गोपाल 1/8 रामदयाल 1/8 लालाराम 1/8 पुत्र रामकरण स्याणी पत्नी रामकरण 1/8 कुमावत के नाम शामलाति दर्ज की जावे –

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म	लगान
1	1053/1607	0.16 है0	गेमु. सड़क	–

उपरोक्तानुसार तहसीलदार शाहपुरा बंटवाड़ा कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज एवं नक्शें मे तरमीम की कार्यवाही करें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 04 माह 08 सन् 2025** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)